चुनाव चन्हि

चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव के लयि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शदि के नेतृत्त्व वाले शविसेना गुट को **"दो तलवारों के साथ ढाल"** का चुनाव चन्हि आवंटति कयि।

- **चुनाव चन्हि (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** चुनाव आयोग को राजनीतकि दलों को मान्यता देने और चुनाव चन्हि आवंटति करने का अधकिार प्रदान करता है।

चुनाव चन्हिों से संबंधति प्रमुख बदि

- **परचिय:**
  - चुनावी/चुनाव चन्हि कसिी राजनीतकि दल को आवंटति एक **मानकीकृत प्रतीक** है।
  - उनका उपयोग पार्टयिों द्वारा अपने प्रचार अभयिान के दौरान कयि जाता है और [इलेक्ट्रॉनकि वोटगि मशीन](#) (EVMs) पर दर्शाया जाता है, जसिसे मतदाता संबंधति पार्टी के लयि चन्हि का चुनाव कर मतदान कर सकता है।
  - इन्हें नरिक्षर लोगों के लयि मतदान की सुवधि हेतु प्रस्तुत कयि गया था, जो मतदान करते समय पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाते।
  - 1960 के दशक में यह प्रस्तावति कयि गया था कि चुनावी प्रतीकों का वनियिमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से कयि जाना चाहयि।
  - इस प्रस्ताव के जवाब में नरि्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतकि दलों की मान्यता की**नगिरानी चुनाव चह्नि (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी के अनुसार चह्निों का आवंटन भी होगा।
    - नरि्वाचन आयोग, चुनाव के उद्देश्य से राजनीतकि दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टयिों के रूप में मान्यता देता है। अन्य पार्टयिों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टयिों के रूप में घोषति कयि जाता है।
    - राष्ट्रीय या राज्य पार्टयिों के रूप में मान्यता कुछ वशिेषाधकिारों को पार्टयिों के अधकिार के रूप में नरि्धारति करती है जैसे- पार्टी प्रतीकों का आवंटन, टेलीवज़िन और रेडयिो स्टेशनों पर राजनीतकि प्रसारण के लयि समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच।
    - प्रत्येक राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय पार्टी को क्रमशः पूरे देश तथा राज्यों में उपयोग के लयि वशिेष रूप से आरक्षति एक प्रतीक चह्नि आवंटति कयि जाता है।
- **चुनाव चह्नि (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968:**
  - आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतदि्वंद्वी समूहों या कसिी [मान्यता प्राप्त राजनीतकि दल](#) के वर्गों के बीच ववािदों का फैसला कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चह्नि पर दावा कर सकता है।
    - आदेश के तहत ववािद या वलिय के मुद्दों का फैसला करने के लयि नरि्वाचन आयोग एकमात्र प्राधकिरण है। [सर्वोच्च न्यायालय](#) (SC) ने वर्ष 1971 में सादकि अली और एक अन्य बनाम ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
  - यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टयिों के ववािदों पर लागू होता है।
  - [पंजीकृत लेकनि गैर-मान्यता प्राप्त पार्टयिों](#) में वभिाजन के मामलों में चुनाव आयोग आमतौर पर ववािद में शामलि गुटों को अपने मतभेदों को आंतरकि रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।
  - चुनाव आयोग द्वारा अब तक लगभग सभी ववािदों में पार्टी के प्रतनिधियिों/ पदाधकिारयिों, सांसदों और वधियकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन कयि है।
  - वर्ष 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नयिम, 1961 के संचालन के तहत अधसिूचना और कार्यकारी आदेश जारी कयि।
  - जसि दल को पार्टी का चह्नि मलिा था, उसके अलावा पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।
    - वे पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थति का दावा कर सकते थे।

[स्रोत: द हदिू](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/election-symbols-1